कार्यपालन सारांश

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आंकलन के उद्देश्य से लाया गया है जो कि वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण को परिदृश्य देने के उद्देश्य से, हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों, बजट दस्तावेजों, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानक और विभिन्न शासकीय विभागों और संस्थानों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों से करने का प्रयास किया है।

प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2013 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेत्तर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त राज्य के समग्र वित्त, वास्तविक व्यय की तुलना में बजट अनुमानों, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायताओं, व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति पर अंतरदृष्टि डालता है। यह विकास, सामाजिक क्षेत्र और पूंजीगत व्यय पर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित एक अनुदान यथा मांग संख्या 19 की समीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां भी दी गई हैं।

अध्याय 3 में विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्यप्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 7,459 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाए रखा। तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,451 करोड़ की कमी आई। यद्यपि, राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 9,420 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से (₹ 3,660 करोड़ की) वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा में 2011-12 में 1.86 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- 2011-12 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों (₹ 70,427 करोड़) में 12.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि ने बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाई, उसके पश्चात 2011-13 के दौरान धीरे-धीरे कमी आई जिसका मुख्य कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था। 2012-13 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं 47 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान का योगदान था।

- 2012-13 के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (16.85 प्रतिशत) भारत की सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (13.26 प्रतिशत) से उच्चतर थी।

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- राज्य के राजस्व व्यय में 2011-12 में ₹ 52,694 करोड़ से 2012-13 में ₹ 62,968 करोड़ तक 19.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 21.65 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई एवं यह राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 39.83 प्रतिशत अधिक था लेकिन राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों के लगभग बराबर था।

- 2012-13 में पूंजीगत व्यय (₹ 11,567 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत थी।

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगियां एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 51 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। कुल ₹ 5,697 करोड़ की राजसहायता भुगतानों में से, 47 प्रतिशत उर्जा विभाग से संबंधित थे।

- 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर निधियों का अंतरण

- 2012-13 के दौरान, राज्य अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुल ₹ 6,233.66 करोड़ अंतरित किए गए थे। ये निधियां राज्य बजट से होकर नहीं गुजरी थीं। इस प्रकार की निधियों के उपयोग के अनुवीक्षण हेतु कोई पद्धति नहीं है।

अपूर्ण परियोजनाएं

- जल संसाधन विभाग में, मार्च 2013 तक 55 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 2,412.53 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसमें से 24 परियोजनाओं की आरंभिक अनुमानित लागत सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 2,067.92 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2012-13 के दौरान, सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों में किए गए ₹ 14,656.50 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ (₹ 18.38 करोड़) केवल 0.13 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.48 प्रतिशत थी।

निधियों की निवल उपलब्धता

- वर्ष 2012-13 के दौरान, आंतरिक ऋणों का पुनर्भुगतान, भारत सरकार से कर्ज एवं अन्य दायित्व तथा उन पर ब्याज नवीन ऋणों का 86 प्रतिशत था जिससे परिसंपत्तियों के सृजन हेतु बहुत कम निधियां उपलब्ध थीं।

देयताओं का प्रबंधन

- वर्ष 2012-13 के अंत में, राज्य की कुल देयताएं ₹ 90,168 करोड़ थीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात (24.92 प्रतिशत) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 36.8 प्रतिशत के भी भीतर था। तथापि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विषय में कुल देयताओं की उत्प्लावकता में 2011-12 में 0.44 से 2012-13 के दौरान 0.61 तक की वृद्धि हुई।

- 2012-13 के दौरान, राज्य की निवल बाजार उधारियों (₹ 3,363 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा। 2009-13 की अवधि के दौरान, सरकार ने पर्याप्त रोकड़ शेष होते हुए भी बाजार कर्ज लिए, जो कि कम ब्याज देने वाली "14 दिनी खजाना बिल" में निवेश किए गए थे। वार्षिक

आयोजनाओं, बजट अनुमानों एवं पुनरीक्षित अनुमानों में बाजार उधारियों का आंकलन अविवेकपूर्ण था।

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियन्त्रण

- 2012-13 के दौरान ₹ 1,01,423 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 83,962 करोड़ का व्यय हुआ। 2012-13 के दौरान ₹ 10,581 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 17,461 करोड़ की समग्र बचत हुई थी। 11 प्रकरणों (आठ विभागों) में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक कुल ₹ 9,026 करोड़ (कुल बचतों का 52 प्रतिशत) की बचतें हुई थी।

- हमने देखा कि वर्ष के दौरान ₹ 5,670.36 करोड़ (कुल बचतों का 32 प्रतिशत) समर्पित किए गए। 33 प्रकरणों में महत्वपूर्ण बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) कुल ₹ 2,135 करोड़ वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित किए गए थे, जिससे इन निधियों का अन्य कार्यों के उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

- ₹ 389 करोड़ की राशि वर्ष की समाप्ति पर लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित की गई थी जिससे राज्य की संचित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ होता है।

- ₹ 335 करोड़ का व्यय राज्य बजट में बिना प्रावधान के किया गया। 19 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन/समर्पण भी अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक योजना में बचत/आधिक्य हुए।

- 2012-13 के दौरान किए गए ₹ 0.24 करोड़ के आधिक्य व्यय हुए जिनकी संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमितीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 1997-98 से 2011-12 की अवधि से संबंधित ₹ 3,015 करोड़ भी अनियमित रहे।

वित्तीय प्रतिवेदन

- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों एवं कार्यविधियों के अनुपालन में कमी थी। ₹ 28,240.91 करोड़ के अनुदानों के संबंध में बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (38623) अनुदानग्राही संस्थानों से प्रतिक्षित थे जो विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

- स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (57 महीनों तक का) हुआ जिससे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हुई।

- ₹ 51.76 करोड़ की राशियों की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के प्रकरणों के निर्वतन में सरकार का अनुपालन लंबित था।

- 2012-13 की समाप्ति पर संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर आहरित ₹ 15.24 करोड़ के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयक प्रतीक्षित थे।

- 31 मार्च 2013 को, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 2,063 करोड़, 904 व्यक्तिगत जमा लेखे में रोक कर रखे गए थे।

- 2012-13 के दौरान 23 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 27,580.95 करोड़ की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया।